

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम क  
में ज

प्रकरण में प्रतिवादी हजारों की ओर से प्रस्तुत प्राप्य तहत आदेश 7 नियम 11 C.P.C. स्वीकार किया जाकर दफा व न. इ. प्राप्य स्वीकार किए जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली पैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जज जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी (संभा०)

*[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'जिला कलेक्टर' and 'गंगापूर सिटी' are visible.]*



मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2010	दावा 7.1.2010	1.3.2021
1/2010	टी.आई. 7.1.2010	1.3.2021
श्यामलाल	वगैरा	बनाम जयनारायण वगैरा

दावा बाबत विभाजन एवं इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० उपस्थित :- श्री दिनेश चंद डांस, एडवोकेट, वादी की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी सं० 10 की ओर से निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रतिवादी हजारी की ओर से दिनांक 22.08.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा० दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण द्वारा भूमि ख०न० 754, 755, 756, 760, 761, 762, 17/887, 18/888, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 63, 64, 65, 66, 97, 98, 125, 126, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 वाके ग्राम सलेमपुर के सम्बन्ध में दावा बाबत विभाजन घोषणा, खातेदारी दुरुस्ती इन्द्राज, दखलयावी का पेश किया है। जबकि इसी भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के पिता जैनु उर्फ जयनारायण एवं किशनलाल पुत्र भौरया द्वारा प्रतिवादीगण एवं सहखातेदार के विरुद्ध एक अन्य दावा भूमि विभाजन घोषणा एवं किशनलाल द्वारा यह घोषणा चाही गयी है। उपरोक्त खसरा नम्बरान का वादी एवं सभी सहखातेदारान के विरुद्ध उनके हिस्सेनुसार पृथक विभाजन किया जावे तथा मौखिक विभाजन में वादी नं० 1 के हिस्से में ख०न० 31, 65, 511, 760, 756 का 2/5 हिस्सा तथा ख०न० 760 से लगता हुआ वादी नं० 2 के खसरा नं० 19, 66, 512, 513, 761 का वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा ख०न० 64 में वादीगण व प्रतिवादी सं० 1/3, 1/3, 1/3 खातेदार घोषित फरमाया जावें तथा इसी प्रकार विभाजन किया जावे, पेश किया है। वर्तमान में खातेदारी जैनु उर्फ जयनारायण पुत्र भौरया जाति गूर्जर एवं प्रतिवादी हजारी, नवल, रामनारायण, रामकिशन, जुगराज, धनजी एवं हेमराज, अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के जबाब मे वादीगण

अंकित किया है कि वादीगण ने उक्त दावा वर्णित आराजीयात अपने पूर्वज

बाबा भोरया पुत्र सुखदव का खातेदारा हान क आधार पर उपरोक्त अनुसार वादीगण की पैतृक भूमि होने के आधार पर वादीगण के हक में पैतृकता के आधार पर वादीगण के हिस्से अनुसार उनके हक में खातेदारी घोषणा के अनुतोष के साथ तदानुसार इन्द्राज दुरुस्ती व वादीगण के हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किये जाने का उक्त दावा किया है जबकि इस मद में वर्णित दावा जैनु उर्फ जयनारायण वगै० द्वारा उक्त वादीगण विरुद्ध तथाकथित पेश करना बताया गया है उस दावे में वादीगण पक्षकार नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा विधिनुसार चलने योग्य है एवं प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण की दावा वाद ग्रस्त पैतृक आराजीयात में वादीगण के नियत हिस्से की खातेदारी घोषणा कि रिलिफ के साथ पेश है इस लिए वादीगण का दावा विधिनुसार चलने योग्य है। वादीगण का प्रार्थना पत्र अविधिक है एवं cpc के प्रावधानों के तहत वादी द्वारा वर्णित आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्रों पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादी हजारी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्रों के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादीगण श्यामलाल वगैरा ने अपने पिता जयनारायण उर्फ जैनु के विरुद्ध यह दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, दखलयाबी, विभाजन भूमि का प्रस्तुत किया है। इसी वादग्रस्त भूमि के विभाजन एवं घोषणा खातेदारी हेतु वादीगण के पिता जैनु उर्फ जयनारायण तथा जैनु उर्फ जयनारायण के भाई किशनलाल ने भूमि से सम्बन्ध पक्षकारों के विरुद्ध इसी न्यायालय मे दावा किया हुआ है जो विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि, भूमि एकीकरण से पूर्व ही अन्य खातेदारों के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार 2005 से पूर्व की भूमि की स्थिति को नहीं बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभी वादीगण के पिता जैनु उर्फ जयनारायण की पृथक से कोई खातेदारी भूमि दर्ज नहीं है। वादीगण अपने पिता की पृथक से दर्ज खातेदारी भूमि मे ही पिता के जीवित रहते हुए भी अधिकार मॉगने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति मे यह दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वार्ड वाई लॉ है। दावा खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित है। अतः वादीगण के अधिकार से मना नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है। वादीगण का दावा कानून के अनुसार ही है। इस पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. लागू नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

(3)

बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नकल दावा संख्या 66/09 उनवानी जैनु उर्फ जयनारायण वगैरा बनाम गुलाब वगैरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण श्यामलाल वगैरा के पिता जैनु उर्फ जयनारायण द्वारा व जैनु उर्फ जयनारायण के भाई किशनलाल द्वारा घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वादग्रस्त भूमि के खातेदारों के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अभी वादीगण श्यामलाल वगैरा के पिता के नाम पृथक से भूमि दर्ज ही नहीं है तो फिर वादीगण श्यामलाल वगैरा हस्तगत वाद के माध्यम से अपने पिता की भूमि में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। हमारी राय में वादीगण श्यामलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत विधि से बाधित है एवं चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी हजारी द्वारा दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 22.8.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दावा संख्या 3/2010 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 1/2010 उनवानी श्यामलाल वगैरा बनाम जयनारायण वगैरा विधि से बाधित होने के कारण खारिज किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.3.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( अनिल कुमार चौधरी )

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी (स०भ०)



दावा विभाजन भूमि, घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज, दखलयाबी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. -3/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी श्री दिनेश डांस, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी हजारी द्वारा दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 22.8.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दावा संख्या 3/2010 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 1/2010 उनवानी श्यामलाल वगैरा बनाम जयनारायण वगैरा विधि से बाधित होने के कारण खारिज किये जाते है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.3.2021 को जारी किया गया ।



( अनिल कुमार चौधरी )

उप जिला कलेक्टर

गंगपुर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगपुर सिटी (स.म.)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान		